संख्या- 191/2016/1573/22-4-16-48(24)/16

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक- 19 दिसम्बर, 2016**

विषय- जिला कारागार, फैजाबाद के कृषि फार्म हेतु 01 नग ट्रैक्टर के क्रय की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-15614/कृषि-2/115/2010, दिनांक-23.05.2016 एवं पत्र संख्या-42070 कृषि-2/115/2010, दिनांक-28.11.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, फैजाबाद के कृषि फार्म में सब्जियां उगाये जाने हेतु निष्प्रयोज्य ट्रैक्टर के प्रतिस्थापन स्वरूप 01 नग ट्रैक्टर मैसी फारगुशन 1035 डी0आई0एम0एस0 मय आल एसेसरीज क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 4,97,915/- (रूपया चार लाख सत्तानवे हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत ट्रैक्टर मय आल एसेसरीज का क्रय समस्त सुसंगत नियमों तथा विहित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस कार्यक्रम/योजना /सेवा के अन्तर्गत ट्रैक्टर क्रय किया गया था वह विघमान हो और उसके लिए ट्रैक्टर मय आल एसेसरीज की आवश्यकता हो।

(4) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि ट्रैक्टर मय आल एसेसरीज का क्रय एक से अधिक बार न हो।

(5) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसी पर व्यय की जायेगी। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे यथासमय समर्पित कर दिया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2017 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2056-जेलें-101-जेल-03-समस्त कारागार के मानक मद-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22.03.2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-191/2015/1573(1)/22-4-2016-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।